



LABOUR DEPARTMENT HARYANA



[Home](#) [About](#) [Labour laws](#) [Duties And Functions](#) [RTS](#) [BRAP](#) [E-Services](#) [Miscellaneous](#) [SO](#)

» [Scheme Detail](#) / इस योजना का विस्तार

[Home](#) (मुख पृष्ठ) > [Scheme detail](#) (इस योजना का)

अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर (धारा 22(1)(h))

Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य

अपंजीकृत कामगार की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसके कानूनी वारिस/आश्रित परिवार के सदस्य को 4,00,000/- रूपये की वित्तीय सहायता बोर्ड द्वारा प्रदान की जाती है।

1. दुर्घटना के संबंध में एफ.आई.आर. की प्रति
2. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रति
3. मृत्यु प्रमाण पत्र
4. संबंधित अधिकारी की जांच उपरान्त अनुशंसा रिपोर्ट
5. नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र
6. नियोजक के दुर्घटना से संबंधित बयान की प्रति संलग्न करनी होगी।

Eligibility / पात्रता

- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 0
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Benefits / लाभ

Rs.0

Process / प्रक्रिया

Work Slip / काम पर्ची

[Download Work Slip](#)

Other Schemes / अन्य योजनाएं

- » कोचिंग कक्षाओं के लिए विधि [HELP](#)
- » व्यवसायिक/तकनीकी संस्थाओं में प्रोत्साहन सुविधा हेतु वित्तीय सहायता [FAQ](#)
- » विधवा पेंशन
- » कामगारों के मेधावी बच्चों (छात्रों) के लिए प्रोत्साहन राशी(10वीं और 12वीं)
- » प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता
- » शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता (नियम 61)
- » बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपु (शादी के तीन दिन पूर्व)(नियम 61)
- » मातृत्व लाभ (नियम 50)
- » पितृत्व लाभ (धारा 22(1)(h))
- » औजार (टूल किट) खरीदने हेतु उपदान (नियम 55)
- » मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना (धारा 22(1)(h))
- » सिलाई मशीन योजना (धारा 22(1)(h))
- » साईकिल योजना (धारा 22(1)(h))
- » कन्यादान योजना (धारा 22(1)(h))
- » बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपु (नियम 61)
- » बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपु (नियम 61)
- » पैतृक घर जाने पर किराया (धारा 22(1)(h))
- » मुफ्त भ्रमण सुविधा (धारा 22(1)(h))
- » अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता (धारा 22(1)(h))
- » अपंगता सहायता (नियम 59)
- » अपंगता पेंशन (नियम 54)
- » चिकित्सा सहायता(मजदूरी क्षतिपूर्ति) (नियम 59)
- » घातक बीमारियों के ईलाज के लिए वित्तीय सहायता (धारा 22(1)(h))
- » मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण (नियम 53)
- » पेंशन की योजना (नियम 51)
- » परिवारिक पेंशन (नियम 62)
- » मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना (नियम 57)
- » मृत्यु सहायता (नियम 57)
- » दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता (नियम 56)

» अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर (धारा 22(1)
(h))

Head Office

Labour Department, Haryana
30 Bays Building, Sector 17,
Chandigarh - 160 017

Haryana Labour Welfare Board and
HBOCW Board
Bays No. 29-30 (Pocket-II)
Sector-4, Panchkula - 134 112

CONTACT US

Phone No.

Head Office : 0172-2701373
ALC NCR : 0124-2301138
IT Cell - HQ:0172-2971057

Haryana Labour Welfare Board :

Landline : 0172-2560226
Toll Free : 1800-180-4818

HBOCW Board :

Landline : 0172-2575300
Toll Free : 1800-180-2129

SARAL Helpline: 0172-3968400

Website : <https://saralharyana.gov.in>

Email:

For Non Technical Support :
labourcommissioner@hry.nic.in

For Technical Support :

Labour Department : mailitcelllabour@gmail.com
HLWB : hlwbgrievance@gmail.com
HBOCWWB : hbocwwb@gmail.com

